भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3570
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

राज्य आपदा अनुक्रिया बल के क्षमता निर्माण पर सम्मेलन

3570. श्री भुवनेश्वर कालिताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या हाल ही में राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) के क्षमता निर्माण पर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;
(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सरकार को वन में आग लगने के बढ़ते खतरे पर प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता महसूस हुई;
(घ) क्या राज्य आपदा अनुक्रिया बल (एसडीआरएफ) वन में लगी आग से निपटने के लिए पूरी तरह लैस है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार वन में लगने वाली आग के बढ़ते मामलों को अधिक प्रभावी रूप से निपटने के लिए एसडीआरएफ को सभी लोजिस्टिक सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, हां। राज्य आपदा मोचन बलों (एसडीआरएफ) के क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 29 और 30 जून, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें सिविल डिफेंस, होम गार्डों तथा अग्निशमन सेवाओं के प्रतिभागी शामिल थे। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:

(i) अगले पांच वर्षों में आपदा प्रबंधन का रोड मैप;

रा.स.अ.प्र.सं. 3570

(ii) आपदाओं में संचालनात्मक (ऑपरेशनल) चुनौतियां;

(iii) आपदा की स्थितियों से पहले और उनके बाद संसाधनों और मानवशक्ति को सक्रिय बनाने में चुनौतियां;

(iv) आपदा प्रबंधन के सभी आपातकाल स्टेकहोल्डरों के बीच तालमेल;

(v) समग्र (कंपोजिट) आपदाएं:- समावेशन तथा अन्य आपात स्थितियां;

(vi) आपदा प्रबंधन में सूचना को साझा करना और प्रौद्योगिकी।

(ग) से (ड.): चूंकि वनों का प्रबंधन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है, इसलिए दावानल की रोकथाम और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की होती है। इसके अलावा, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए यह जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है कि वे दावानल सहित किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए अपने एसडीआरएफ कार्मिकों को सुसज्जित करें। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके प्रयासों में संभारतंत्रीय (लॉजिस्टिक) तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि दावानल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों के वन विभागों ने संवेदनशील जगहों पर दावानल संरक्षण दस्तों को तैनात किया है। इन दस्तों के सदस्यों को दावानल से निपटने के लिए अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

रा.स.अ.प्र.सं. 3570

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व बैंक के सहयोग से दावानल की स्थिति के विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन कराया है और ''भारत में दावानल प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण'' शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावानल की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, उसे नियंत्रित करने, आग लगने के बाद प्रबंधन, समुदायों के साथ मिलकर कार्य करने, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय आदि के संबंध में विभिन्न सिफारिशें शामिल हैं। अध्ययन से मिली जानकारी का उपयोग मंत्रालय द्वारा दावानल संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार करने के लिए किया गया था, जिसे अप्रैल, 2018 में जारी किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वनों के निकट रहने वाले समुदायों को जानकारी उपलब्ध कराके, उन्हें सक्षम बनाकर और अधिकार प्रदान करके तथा वन विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके दावानल की घटनाओं में कमी लाना है। इस योजना का लक्ष्य देश के संपूर्ण विविध वन पारिस्थितिकी तंत्र (फारेस्ट ईकोसिस्टम) की दावानल जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को काफी हद तक कम करना, आग से निपटने के लिए वन कार्मिकों और संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना तथा आग की घटना के बाद उससे उबरने में तेजी लाना भी है।

*****